

भारत सरकार
शिक्षा मंत्रालय
उच्चतर शिक्षा विभाग
राज्य सभा
तारांकित प्रश्न संख्या-97
उत्तर देने की तारीख-04/12/2024

नीट, 2024 में पेपर लीक

97 श्री पी. विल्सन:

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (नीट) पेपर लीक 2024 की घटनाओं, पहचान किए गए व्यक्तियों और इन घटनाओं के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों के विरुद्ध की गई कार्रवाई और पेपर लीक की घटनाओं को रोकने के लिए प्रस्तावित कार्य योजना तथा के. राधाकृष्णन समिति द्वारा नीट के लिए प्रस्तावित परिवर्तनों का ब्यौरा क्या है ;
- (ख) नीट पेपर लीक के संबंध में प्रत्येक राज्य में दर्ज की गई शिकायतों और प्राथमिकी का ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं; और
- (ग) नीट पेपर लीक के लिए जिम्मेदार राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) के अधिकारियों के विरुद्ध की कार्रवाई का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
शिक्षा मंत्री
(श्री धर्मेन्द्र प्रधान)

(क) से (ग): विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है।

नीट, 2024 में पेपर लीक के संबंध में माननीय संसद सदस्य श्री पी. विल्सन द्वारा 04 दिसंबर, 2024 को पूछे जाने वाले राज्य सभा तारांकित प्रश्न संख्या 97 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क) से (ग): नीट (यूजी) 2024 परीक्षा राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) द्वारा 5 मई 2024 को आयोजित की गई। नीट (यूजी) 2024 परीक्षा के आयोजन के बाद, कथित अनियमितताओं/धोखाधड़ी/कदाचार के कुछ मामले सामने आए। शिक्षा मंत्रालय ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) से नीट (यूजी) 2024 परीक्षा के संबंध में षडयंत्र, धोखाधड़ी, विश्वासघात आदि सहित कथित अनियमितताओं के पूरे दायरे की व्यापक जांच करने को कहा।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने डब्ल्यूपी (सिविल) 335/2024 और इससे जुड़े मामलों में 2 अगस्त, 2024 के निर्णय में पैरा 84 में टिप्पणी की है कि "इसलिए, वर्तमान में रिकॉर्ड पर पर्याप्त सामग्री नहीं है जो सिस्टमिक लीक या अन्य रूपों के सिस्टमिक कदाचार का संकेत देती है। रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री, वर्तमान में, इस आरोप की पुष्टि नहीं करती है कि व्यापक कदाचार हुआ है जिससे परीक्षा की सत्यनिष्ठा से समझौता हुआ है।" इसी मामले में सुप्रीम कोर्ट के 23 जुलाई, 2024 के पहले के आदेश के अनुपालन में, नीट (यूजी) 2024 परीक्षा का संशोधित परिणाम 26 जुलाई, 2024 को घोषित किया गया है।

दिनांक 22.11.2024 की स्थिति के अनुसार, सीबीआई ने कुल 45 अभियुक्तों के विरुद्ध नीट (यूजी) पेपर चोरी के मामले में पांच आरोप पत्र दायर किए हैं। पेपर चोरी/अनुचित साधनों के लाभार्थी उम्मीदवारों के नाम और एमबीबीएस छात्रों के नाम जिन्होंने चोरी किए गए पेपर को हल किया था या जो परीक्षा में प्रतिरूपणकर्ता के रूप में उपस्थित हुए थे, उनकी पहचान पहले ही कर ली गई है और संबंधित अधिकारियों, जैसा भी मामला हो, को आवश्यक कार्रवाई के लिए भेज दिया गया है।

एनटीए द्वारा परीक्षाओं के पारदर्शी, सुचारु और निष्पक्ष संचालन के लिए प्रभावी उपाय सुझाने के लिए, शिक्षा मंत्रालय ने दिनांक 22.06.2024 को डॉ. के. राधाकृष्णन, पूर्व अध्यक्ष इसरो और अध्यक्ष बीओजी, आईआईटी कानपुर की अध्यक्षता में विशेषज्ञों की एक उच्च स्तरीय समिति (एचएलसीई) का गठन किया। समिति ने दिनांक 21.10.2024 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है और एनटीए को मजबूत करने, राज्यों के साथ संस्थागत संबंध, ज्ञान और परीक्षा भागीदार के रूप में टेस्ट इंडेंटिंग एजेंसियों की भागीदारी आदि सहित राष्ट्रीय कॉमन एंट्रेंस टेस्टिंग में सुधार की सिफारिश की है। एचएलसीई ने पेन और पेपर टेस्ट (पीपीटी) और कंप्यूटर आधारित टेस्ट (सीबीटी) दोनों परीक्षाओं में उल्लंघनों को रोकने के लिए उपाय भी निर्धारित किए हैं और मानक प्रचालन प्रक्रिया (एसओपी) की सिफारिश की है। निर्धारित प्रोटोकॉल के अनुसार प्रश्न पत्र निर्धारण और पुनरीक्षण के लिए दिशानिर्देशों की भी सिफारिश की गई है। इसके अलावा,

अन्य सिफारिशों के अतिरिक्त, एचएलसीई ने विद्यार्थियों के लिए परीक्षा केन्द्र आबंटन के असामान्य पैटर्न को रोकने के लिए परीक्षा केन्द्र आबंटन नीति के संबंध में विस्तृत रूपरेखा तैयार करने की मांग की है। समिति ने एनटीए पर एचएलसीई की सिफारिशों के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए एक उच्च अधिकार प्राप्त संचालन समिति के गठन की भी सिफारिश की। मंत्रालय द्वारा दिनांक 14 नवंबर, 2024 को उच्च अधिकार प्राप्त संचालन समिति का गठन पहले ही किया जा चुका है।
